<u>महत्वपर्ण/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-15/2016/ 306 /एक-6-2016-रा0-6-142(112)/2013</u>

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2016**

विषय: वर्ष 1984 में पाकिस्तान से आये तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में लगभग 1300 पुनर्वासित लोगों द्वारा अपने आस-पास की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे संबंधी में की गयी रजिस्ट्रियों में बरती गयी अनियमिता में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-461/एक-6-2015-142(112)/2013, दिनांक 12-5-2015, पत्र संख्या-674/एक-6-2015-142(112)/2013, दिनांक 16-6-2015, पत्र संख्या-1065/एक-6-2015-142(112)/2013, दिनांक 3-9-2015 एवं पत्र संख्या-25/एक-6-2016-142(112)/2013, दिनांक 8-1-2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर संस्तुति सहित जांच आख्या शासन को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वांछित आख्या अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- अत: आपसे पुन: अनुरोध है कि कृपया विलम्ब का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में जांच कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अपनी संस्तुति सहित जांच आख्या एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव

<u>संख्या- /2016/306(1)/एक-6-2016-रा0-6-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डी0 के0 सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in